

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 7/2026

सुभाष पुत्र किशनाराम, जाति जाट, निवासी नाटास, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं।
—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढागौड़जी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज०)
—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी दिनांक 26.12.2025 उनवानी सरकार बनाम सुभाष मुकदमा संख्या 280/2025 अन्तर्गत धारा 91(6) राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

आदेश


दिनांक 06.03.2026

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी के आदेश दिनांक 26.12.2025 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपीलान्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विरुद्ध विधि तथा खिलाफ पत्रावलीय है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किए बिना निर्णय दिनांक 26.12.2025 पारित किया है। अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचना किए तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 26.12.2025 पारित किया है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 26.12.2025 स्पीकिंग ऑर्डर की तरीफ में नहीं आता है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। स्वीकृत रूप से धारा 91(6)(क) भू० राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आदेश करने से पूर्ववर्ती आदेश द्वारा बेदखली किया जाना आवश्यक है लेनिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ववर्ती आदेश के जरिये अपीलार्थी को कब बेदखल किया गया उसका कोई विवरण अंकित नहीं है उक्तानुसार उक्त बेदखल के विवरण के बिना जो आक्षेपित आदेश पारित किया है वह विधि विरुद्ध है निरस्त किया जाना उचित व न्यायसंगत है। स्वीकृत रूप से सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जो नोटिस प्रेषित किया गया है वह धारा 91(6)(क) भू० राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण की पत्रावली के संलग्न नोटिस में भी यही अंकित किया गया है उक्त धारा के अन्तर्गत सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है अपितु उक्त धारा के अन्तर्गत अगर प्रकरण प्रमाणित माना जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पुलिस थाना गुढागौड़जी को आदेश पारित कर सकता था जिसमें बाद अनुसंधान अगर अपराध प्रमाणित माना जाता है तो सक्षम न्यायालय न्यायिक दण्डनायक के यहां चालान पेश किया जाता लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों से विपरित जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टया रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत के निर्णय में अंकितानुसार भूमि खसरा नं० 178 पर संवत् 2082 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी/अपीलार्थी की पैत्रिक काश्त की भूमि है तथा जिस पर अपीलार्थी के परिवार का कब्जा राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम के लागू होने से पूर्व का है उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विधि विरुद्ध तथा निरस्त होने योग्य है अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा बाबत वादपत्र माननीय सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं के यहां पेश कर रखा है जिसको माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं द्वारा दर्ज रजिस्टर करके तहसीलदार


जिला कलक्टर झुंझुनूं

गुढागौडजी से रिपोर्ट बाबत आदेश पारित किया है उक्तानुसार प्रकरण सबज्यूडिस होने के कारण नायब तहसीलदार गुढागौडजी को उक्त बाबत आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था, उक्तानुसार सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विधि विरुद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थी के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करके अपीलार्थी के विपरित झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है अपीलार्थी को पटवारी से जिरह का मौका रिपोर्ट अपठनीय है। उक्तानुसार बिना अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार गुढागौडजी दिनांक 26.12.2025 उनवानी सरकार बनाम सुभाष मुकदमा सं0 280/2025 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये। अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो श्रीमान् न्याय हित में एवं अपीलार्थी के पक्ष में वह भी पारित करने की कृपा करावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विरुद्ध विधि तथा खिलाफ पत्रावलीय है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किए बिना निर्णय दिनांक 26.12.2025 पारित किया है। अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचना किए तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 26.12.2025 पारित किया है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 26.12.2025 स्पीकिंग ऑर्डर की तरीफ में नहीं आता है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। स्वीकृत रूप से धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आदेश करने से पूर्ववर्ती आदेश द्वारा बेदखली किया जाना आवश्यक है लेनिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ववर्ती आदेश के जरिये अपीलार्थी को कब बेदखल किया गया उसका कोई विवरण अंकित नहीं है उक्तानुसार उक्त बेदखल के विवरण के बिना जो आक्षेपित आदेश पारित किया है वह विधि विरुद्ध है निरस्त किया जाना उचित व न्यायसंगत है। स्वीकृत रूप से सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जो नोटिस प्रेषित किया गया है वह धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण की पत्रावली के संलग्न नोटिस में भी यही अंकित किया गया है उक्त धारा के अन्तर्गत सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है अपितु उक्त धारा के अन्तर्गत अगर प्रकरण प्रमाणित माना जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पुलिस थाना गुढागौडजी को आदेश पारित कर सकता था जिसमें बाद अनुसंधान अगर अपराध प्रमाणित माना जाता है तो सक्षम न्यायालय न्यायिक दण्डनायक के यहां चालान पेश किया जाता लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों से विपरित जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टया रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत के निर्णय में अंकितानुसार भूमि खसरा नं0 178 पर संवत 2082 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी/अपीलार्थी की पैत्रिक काश्त की भूमि है तथा जिस पर अपीलार्थी के परिवार का कब्जा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के लागू होने से पूर्व का है उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विधि विरुद्ध तथा निरस्त होने योग्य है अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा बाबत वादपत्र माननीय सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं के यहां पेश कर रखा है जिसको माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं द्वारा दर्ज रजिस्टर करके तहसीलदार गुढागौडजी से रिपोर्ट बाबत आदेश पारित किया है उक्तानुसार प्रकरण सबज्यूडिस होने के कारण नायब तहसीलदार गुढागौडजी को उक्त बाबत आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था, उक्तानुसार सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2025 विधि विरुद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थी के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करके अपीलार्थी के विपरित झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है अपीलार्थी को पटवारी से जिरह का मौका रिपोर्ट अपठनीय है। उक्तानुसार बिना



जिला कलक्टर झुंझुनूं

अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है जो निरस्त होने योग्य है। जमीन जैर बहस पर अपीलान्त का कब्जा कश्त नहीं है और न ही अपीलान्त भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत अपीलान्त शपथ पत्र पेश करने को तैयार है। अतः अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार गुढागौड़जी दिनांक 26.12.2025 उनवानी सरकार बनाम सुभाष मुकदमा सं० 280/2025 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये। अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो श्रीमान् न्याय हित में एवं अपीलार्थी के पक्ष में वह भी पारित करने की कृपा करावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त ने ग्राम नाटास स्थित भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 5.83 है० किस्म गैर मुमकिन बंजड 2 मे से 0.50 है० जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जो राजकीय भूमि है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्त को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलान्त का अवैध कब्जा है। अपीलान्त को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्त की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्त को नाटास स्थित भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 5.83 है० किस्म गैर मुमकिन बंजड 2 मे से 0.50 है० जमीन पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्त ने अदालत हाजा के समक्ष कथन किया है कि उनके द्वारा विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। अपीलान्त का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है और न ही अपीलान्त भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत अपीलान्त ने शपथ पत्र भी पेश करने को तैयार है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्त स्वीकर की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 26.12.2025 निरस्त किया जाता है तथा अपील इन निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है या नहीं हटाया है इस बाबत जांच की जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अपील अपीलान्त स्वीकार होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं